



Neutral Citation No. - 2026:AHC:171018

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 30820 वर्ष 2025

संदीप यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : योगेंद्र कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, राकेश कुमार पांडे

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है तथा उनके मध्य दिनांक 31.07.2025 को समझौता हो गया था और उक्त समझौता वर्तमान आवेदन के साथ दाखिल किया गया है। पूर्व में, इस न्यायालय ने पक्षकारों को समझौते के सत्यापन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



होने का निर्देश दिया था। उक्त आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को सत्यापन रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया गया था।

3. रिपोर्ट के अनुसार, पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, जिनकी पहचान उनके-अपने अधिवक्ताओं द्वारा की गई तथा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.12.2025 को समझौते का सत्यापन किया गया।

4. चूंकि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है और प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 आवेदक के विरुद्ध अभियोजन नहीं चलाना चाहता है, अतः इसे लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

5. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता उपर्युक्त तथ्यों पर विवाद नहीं करते हैं।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य, (2019) 5 एस सी सी 688** में समझौते/सुलह के आधार पर कार्यवाही को निरस्त किए जाने के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

“15. इस बिंदु पर विधि तथा उपर्युक्त उल्लिखित इस न्यायालय के अन्य निर्णयों पर विचार करते हुए, यह अभिनिर्धारित एवं माना जाता है कि:

i) संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग संहिता की धारा 320 के अंतर्गत गैर-शमनीय अपराधों की आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने के लिए किया जा सकता है, यदि वे मुख्यतः और अत्यधिक रूप से सिविल प्रकृति के हों, विशेष रूप से वे जो वाणिज्यिक लेन-देन से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



उत्पन्न हुए हों अथवा वैवाहिक संबंध या पारिवारिक विवादों से उत्पन्न हुए हों और जब पक्षकारों ने अपने मध्य पूरे विवाद का समाधान कर लिया हो;

ii) ऐसी शक्ति का प्रयोग उन अभियोजनों में नहीं किया जाना चाहिए जिनमें जघन्य एवं गंभीर अपराध अथवा मानसिक विकृति से संबंधित अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध शामिल हों। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं;

iii) इसी प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष विधियों के अंतर्गत अपराधों अथवा लोक सेवकों द्वारा उस क्षमता में कार्य करते हुए किए गए अपराधों के संबंध में, पीड़ित और अपराधी के मध्य हुए समझौते के मात्र आधार पर ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए;

iv) धारा 307 आई.पी.सी. तथा शस्त्र अधिनियम आदि के अंतर्गत अपराध जघन्य एवं गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं और इसलिए इन्हें केवल व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि समाज के विरुद्ध अपराध माना जाना चाहिए। अतः धारा 307 आई.पी.सी. और/या शस्त्र अधिनियम आदि के अंतर्गत ऐसे अपराध, जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, की आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर कि पक्षकारों ने अपने पूरे विवाद का आपस में समाधान कर लिया है, संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरस्त नहीं किया जा सकता। तथापि, उच्च न्यायालय केवल इस आधार पर अपना निर्णय नहीं करेगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में धारा 307 आई.पी.सी. का उल्लेख किया गया है अथवा इस प्रावधान के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है। उच्च न्यायालय यह जांच करने के लिए स्वतंत्र होगा कि धारा 307 आई.पी.सी. का समावेश केवल औपचारिकता के लिए किया गया है अथवा अभियोजन ने पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किया है, जो सिद्ध होने पर धारा 307 आई.पी.सी. के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाने का आधार बनेगा। इस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय चोट की प्रकृति, यह कि ऐसी चोट शरीर के महत्वपूर्ण/संवेदनशील अंगों पर पहुंचाई गई है या नहीं, प्रयुक्त हथियार की प्रकृति आदि को देख सकता है। तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा अभ्यास केवल जांच के पश्चात साक्ष्य एकत्र किए जाने तथा आरोप-पत्र दाखिल किए जाने/आरोप विरचित किए जाने और/या विचारण के दौरान ही किया जा सकता है। जब मामला अभी जांच के अधीन हो, तब ऐसा अभ्यास अनुमन्य नहीं है। अतः इस न्यायालय के नरेंद्र सिंह (उपर्युक्त) मामले में दिए गए निर्णय के अनुच्छेद 29.6 एवं 29.7 में निकाले गए अंतिम निष्कर्षों को सामंजस्यपूर्ण रूप से तथा समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और उपर्युक्त परिस्थितियों में उसी प्रकार पढ़ा जाना चाहिए;

v) गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने के लिए संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते समय, जो अपराध निजी प्रकृति के हों और जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव न हो, तथा पीड़ित और अपराधी के मध्य समझौता/सुलह हो गई हो, उच्च न्यायालय के लिए अभियुक्त के पूर्ववृत्त; अभियुक्त का आचरण, अर्थात् क्या अभियुक्त फरार था और वह क्यों फरार था; उसने शिकायतकर्ता के साथ समझौता करने की व्यवस्था किस प्रकार की आदि पर विचार करना आवश्यक है।”

7. उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत, चूंकि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है और पक्षकारों के मध्य समझौते का विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही सत्यापन किया जा चुका है, अतः वर्तमान आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है।

8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है और वाद संख्या 234 सन् 2024 की संपूर्ण कार्यवाही, जो अब सत्र परीक्षण संख्या 16 सन् 2025 (राज्य बनाम संदीप यादव) के रूप में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिवर्तित हो गई है, मुकदमा अपराध संख्या 205 सन् 2024 से उत्पन्न, धारा 137(2) एवं 87 बी.एन.एस., थाना कोतवाली कालपी, जनपद जालौन के अंतर्गत, जो विद्वान अपर जिला न्यायाधीश/एफ.टी.सी. (महिलाओं के विरुद्ध अपराध), जालौन, उरई के न्यायालय में लंबित है, एतद्वारा निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

13 अगस्त, 2026

अकबर